ग्राम पंचायत मलेण्डी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 4/2013 से 3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र., को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत मलेण्डी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री चन्द्र सैन मैहता	01/04/2013 से 30/09/2013
2	श्री उज्जव सैन मैहता	01/11/2013 से 21/01/2016
3	श्री दूली चंद	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री जय गोपाल	04/2013 से 28.02.2014
2	श्री सुभाष चन्द	01.03.2014 से 31.03.2016
3	श्री रवि	01.04.2016 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:- ग्राम पंचायत मलेण्डी के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	6	मध्य हिमालय जलागम परियोजना की अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न करना	विवरण पैरे में दिया गया है।
2	7	रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय के सम्बन्ध में रसीदें इत्यादि जारी न करना	8.33
3	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.58

4	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानो की राशि का उपयोग न किया जाना	6.31
5	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही व्यय करना	5.55
6	13	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना	4.90
7	14	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना सामग्री का क्रय करना	4.72
8	15	भुगतान के सम्बन्ध में वाऊचर इत्यादि आवश्यक जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना	10.96
9	16	हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना (Mid Himalayan Water Shed Development Project) के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान प्राप्त न करना	0.24

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत मलेण्डी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण , श्री अनिल शर्मा , अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 27.07.2016 से 1.08.2016 के दौरान कुमारसैन में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया , जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	9/2013	1/2014
2014-15	8/2014	9/2014
2015-16	10/2015	11/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत मलेण्डी, विकास खण्ड नारकंडा, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि.प्र. शिमला-171009 को

प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 86/2016 दिनांक 29.07.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत मलेण्डी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत मलेण्डी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी।

(क) स्व स्त्रोत (Own Sources):- ग्राम पंचायत मलेण्डी की अवधि 4/2013 से 3/2016 की स्व स्त्रोत एवं Grant in Aid (Other than MG NREGA, Integrated Water Shed Project & Mid Himalayan Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न दिया गया है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 1(क) तथा 1(ख) पर दिया गया है।

सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि MG NREGA, Integrated Water Shed Project & Mid Himalayan Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय/व्यय को एक ही रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही MG NREGA, Integrated Water Shed Project & Mid Himalayan Water Shed Project के अतिरिक्त प्राप्त अन्य अनुदानों को Own Sources की आय सहित बैंक खातों में जमा करवाया गया है। इसके अतिरिक्त रोकड़ बही में लेखांकित आय- व्यय के सम्बन्ध में Ledger Accounts नहीं बनाए गए है। Ledger Accounts नहीं बनाए जाने के कारण प्राप्त अन्य अनुदानों और Own Sources की आय- व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता। अत: ग्राम पंचायत द्वारा रोकड़ बही के अनुसार वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की गई है।

Financial Position of Panchayat Malandi Block Narkanda Distt. Shimla

Own Sources & GIA Recorded in General Cash Book

Year	Opening Balance	Receipt during the year	Interest	Total	Expenditure	Closing Balance
2013-14	428929.00	1929050.00	26069.00	2384048.00	1455116.00	928932.00
2014-15	928932.00	1157789.00	25201.00	2111922.00	1654418.00	457504.00
2015-16	457504.00	2085857.00	21506.00	2564867.00	2023959.00	540908.00

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मलित किये गये है।

(ख) अनुदान(Grant in Aid):- ग्राम पंचायत मलेण्डी की अवधि 4/2013 से 3/2016 के अनुदानों (MG NREGA, Integrated Water Shed Project & Mid Himalayan Water Shed Project) की वित्तीय स्थिति का

संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट-1(ग) में भी दिया गया है:-

Consolidated Financial Position of MG NREGA & Intergrated Water Shed Project in R/o Panchayat Malendi Block Narkanda Distt. Shimla						
Year	**Opening Balance**	**Receipt during the year**	**Interest**	**Total**	**Expenditure**	**Closing Balance**
2013-14	21022.00	1015068.00	4381.00	1040471.00	752678.00	287793.00
2014-15	287793.00	414563.00	5986.00	708342.00	432946.00	275396.00
2015-16	275396.00	0.00	5319.00	280715.00	190126.00	90589.00

Note :- दिनांक 01.04.2013 को दर्शाये गए Opening Balance में रोकड़ बही में लेखांकित Cash in hand के अतिरिक्त विभिन्न Bank Account Pass Books में दर्शाये गए Bank Balances भी सम्मलित किये गये है।

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना तथा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(क) ग्राम पंचायत मलेण्डी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करना अनिवार्य था। अत: पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत: इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों को बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 15(1) के अनुसार मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार करना अनिवार्य है। अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मलेण्डी द्वारा अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण दिनांक 31.03.2016 को रोकड़ बही और संबन्धित बैंक खातों के अंत शेष में ₹20742 का अन्तर था। इस संदर्भ में अंकेक्षण अधियाचना संख्या 84-85/2016 दिनांक 29/07/2016 के माध्यम से सचिव ग्राम पंचायत को इस अन्तर के कारणों को स्पष्ट करने बारे और इस अन्तर को समायोजित किए जाने बारे आग्रह किया गया था। इस बारे में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरण तैयार न किए जाने के कारण यह अंतर है , जिसका बैंक समाधान विवरण बना कर समाधान किया जायेगा। अत: नियमों की अवहेलना करके मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए। इसके अतिरिक्त दिनांक

31.03.2016 को निम्न विवर्णानुसार पाए गए रोकड़ बही के अंत शेष और बैंक खातों के अंत शेष के अन्तर का प्राथमिकता के आधार पर समायोजन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

रोकड़ बही के अनुसार तैयार की गई वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31.03.2016 **को अंतिम शेष** (Note :- **दिनांक** 01.04.2013 **को दर्शाये गए** Opening Balance **में रोकड़ बही में लेखांकित** Cash in hand **के अतिरिक्त विभिन्न** Bank Account Pass Books **में दर्शाये गए** Bank Balances **को भी सम्मलित किया गया है।**)	540908.00

दिनांक 31.03.2016 को Cash in Hand और बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

Cash In Hand	89.00
Account No.1915 Of HPSC Bank Narkanda	1960.00
Account No.1909 Of HPSC Bank Narkanda	54055.00
Account No.1906 Of HPSC Bank Narkanda	2548.00
Account No.1907 Of HPSC Bank Narkanda	12524.00
Account No.1480 Of HPSC Bank Narkanda	443583.00
Account No.1910 Of HPSC Bank Narkanda	6070.00
Account No.1908 Of HPSC Bank Narkanda	40821.00
Total	561650.00
Difference	-20742.00

6 मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान वित्तीय लेनदेन का लेखांकन रोकड़ बही में न करना

ग्राम पंचायत से संबन्धित विभिन्न लेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान मध्य हिमालय जलागम परियोजना के अंतर्गत सचिव द्वारा HP State Cooperative Bank Prem Nagar **में दो बैंक खाते खोले गए थे। इन बैंक खातों में से एक बैंक खाता संख्या 43010101216 से किए गए वित्तीय लेनदेनों को मध्य हिमालय जलागम परियोजना की रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया था , जबकि दूसरे बैंक खाता संख्या 8752 से किए गए वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। इस सम्बन्ध में आवश्यक जाँच करने पर पाया गया कि बैंक खाता संख्या 43010101216 से कई प्रकार के वित्तीय लेनदेन किए गए थे , परंतु रोकड़ बही में लेखांकित न किए जाने के कारण इन वित्तीय लेनदेनों की अंकेक्षण में जाँच नहीं की जा सकी, साथ ही परिशिष्ट-2 के अनुसार दिनांक 31.03.2016 को संबन्धित बैंक खाते में ₹70394 शेष थे। सचिव ग्राम पंचायत ने अंकेक्षण को सूचित किया कि इस परियोजना से संबन्धित अन्य बैंक खाता संख्या 8752 से निकली गई राशि से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों का लेखांकन रोकड़ बही में किया गया है। इस प्रकार अवधि 4/2013 से 31.03.2016 के दौरान बैंक खाता संख्या 43010101216 से किए गए वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित न किया जाना अपनेआप में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता है, क्योंकि रोकड़ बही में वित्तीय लेनदेनों को लेखांकित न किए जाने से वित्तीय अनियमितताओं/दुर्विनियोजन की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: इस**

अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये परियोजना से संबन्धित वित्तीय लेनदेनों को रोकड़ बही में लेखांकित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 रोकड़ बही में लेखांकित प्राप्त आय की ₹8.33 लाख के सम्बन्ध में रसीदें इत्यादि जारी न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 के अनुसार जब कभी भी पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार की आय प्राप्त की जायेगी उस स्थिति में सचिव द्वारा फार्म-3 में उस प्राप्ति के बदले में रसीद जारी की जानी अपेक्षित थी। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि परिशिष्ट-3 में दिये गए विवरण के अनुसार अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान ₹833150 की प्राप्त आय के बदले में सचिव द्वारा कोई भी रसीद जारी नहीं की गई थी। अत: इस अनियमितता के बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये प्राप्त आय के बदले में रसीदें जारी की जानी सुनिश्चित की जाए।

8 निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-4 में दिये गए विवरणानुसार समय-समय पर नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था , जोकि हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था तथा पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही पंचायत का अनुमोदन लेकर ही पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

10 पंचायत राजस्व की ₹1.58 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्त्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-5 में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व

₹1.58 लाख की वसूली शेष थी। अत: उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11 अनुदान की ₹6.31 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2016 को कुल ₹631497 उपयोग हेतु शेष थी। इस राशि में से ₹90589 MG NREGA, Integrated Water Shed Project & Mid Himalayan Water Shed Project से संबन्धित थी जबकि शेष ₹540908 स्व: स्रोत्रों और अन्य अनुदानों से संबन्धित थी। अत: दिनांक 31.03.2016 तक अन्य अनुदानों और स्व: स्रोत्रों के संकलित अन्तिम शेष में से अन्य अनुदानों के अन्तिम शेष को अलग किया किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अन्य अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹5.55 लाख का अनियमित व्यय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा परिशिष्ट-6 में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹555193 का व्यय प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 क्रय किए गए ₹4.90 लाख के स्थाई एवं अस्थाई भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि यां न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार का उसकी स्थाई एवं अस्थाई प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना आपेक्षित था। ग्राम पंचायत द्वारा क्रय की गई सामग्री की जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई ₹490418 की विभिन्न मदों, जिनका विवरण परिशिष्ट-7 में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.72 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचरिकताए प्रावधित है। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट-8 में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹472418 के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ग्राम पंचायत द्वारा किए गए ₹10.96 लाख के भुगतानों के सन्दर्भ में वाऊचर/अभिलेख इत्यादि अंकेक्षण मे उपलब्ध न करवाना

अंकेक्षण अवधि के दौरान किए गए विभिन्न भुगतान, जिनका विवरण परिशिष्ट-9 में दिया गया है, अंकेक्षण दल को आवश्यक जाँच हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए। अत: इस सम्बन्ध में नियमानुसार उचित छानबीन की जाए और वस्तुस्थिति से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाए अन्यथा भुगतान की गई राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

16 हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना (Mid Himalayan Water Shed Development Project) के अंतर्गत लाभार्थियों से अंशदान के रूप में ₹0.24 लाख प्राप्त न करना

हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना (Mid Himalayan Water Shed Development Project) के नियमों के अंतर्गत जलागम परियोजना के अंतर्गत सर्जन की गई संपतियों के प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय होने वाली राशि की भरपाई हेतु लाभभोगी/लाभार्थी से अंशदान वसूल किया जाना अपेक्षित था। चयनित मासों के दौरान परियोजना धनराशि से किए गए विभिन्न भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि लाभभोगी/लाभार्थी से अंशदान की ₹24371 की वसूली नहीं की गई थी। इन सभी लाभभोगी/लाभार्थी का विवरण परिशिष्ट-10 पर दिया गया है। अत: परियोजना नियमों की अनदेखी करके लाभभोगी/लाभार्थी से अंशदान प्राप्त न करने को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा इस अंशदान की वसूली वर्तमान में की जानी सुनिश्चित की जाए।

17 माप पुस्तिका में उपयोग दर्शाई गई निर्माण सामग्री की तुलना में सामग्री के भाग के लिए लाभार्थी को ₹6000 का अधिक भुगतान करना

चयनित मासों के दौरान किए गए विभिन्न भुगतानों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न मामले में लाभार्थी को सामग्री के भाग के लिए ₹6000 का अधिक भुगतान किया गया था। अत: इस

अधिक भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए, अन्यथा इस अधिक भुगतान की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name of Work	Item No.	Qty as per MB No. 10281 P.No.89)	Qty as per Purchase Bill	Excess Qty	Rate per चट्टा	Total Excess Amount paid
C/o Retaing Wall at Chalan	RR Masonary	19.80 m^3 MB No. 10888 P.No.49)	28.30 m^3 (20 चट्टे पत्थर x 2.83 m^3)	8.50 m^3 (3 चट्टे पत्थर)	2000	6000
Total						6000

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर /अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	विभिन्न अनुदानों के खाते (Ladgers)	7	29(1)
6	क्लासीफाइड अबसट्रेक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
7	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
11	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताए

(क) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्व: स्रोत्र से प्राप्त आय और अनुदानों से संबन्धित आय को बैंक में दो खातों में जमा करवाया जायेगा। यह खाते पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B होगे। पंचायत फ़ंड - A में ग्राम पंचायत के स्व: स्रोत्र से आय जमा होगी जबकि पंचायत फ़ंड - B में अनुदानों से संबन्धित आय जमा की जायेगी। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत की आय- व्यय और अनुदानों के लेखांकन हेतु निम्न रोकड़ बहियों का निर्माण किया गया है, तथा साथ ही प्राप्त स्व: स्रोत्र आय और विभिन्न अनुदानों को 8 विभिन्न बैंक खातों में जमा करवाया गया था, जबकि उपरोक्त नियम के अनुसार दो बैंक खाते खोले जाने थे और पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन किया जाना चाहिए था। अत: पंचायत फ़ंड - A और पंचायत फ़ंड - B के अनुसार ही रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

General Cash Book	इस रोकड़ बही में Own Sources और विभिन्न GIA (Other than Water Shed Grant, एवं MNREGA) का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for MG NREGA	इस रोकड़ बही में MG NREGA से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।
Cash Book for Integrated Water Shed Grant	इस रोकड़ बही में Integrated Water Shed Grant से संबन्धित प्राप्ति एवं व्यय का लेखांकन किया गया था।

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत मलेण्डी द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) में वर्णित नियमानुसार रोकड़ बही का निर्माण नहीं किया गया था, जैसे कि वर्ष के अंत में रोकड़ बही में पंचायत सचिव द्वारा Cash in hand के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मध्य हिमालय जलागम विकास परियोजना (Mid Himalayan Water Shed Development Project) की रोकड़ बही को दिनांक 25.03.2014 से 31.03.2016 (पृ. संख्या 20 से 22 तक) के दौरान पंचायत प्रधान द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अत: सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम

7 के अनुसार न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण न किया जाना

हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय का लेखांकन रोकड़ बही के साथ फार्म-7 पर खाता बहियों में किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय- व्यय के लेखांकन हेतु विभिन्न खाता बहियों (Ledgers) का निर्माण नहीं किया गया था। अत: नियम 29(1) के अनुसार खाता बहियों का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) हि.प्र. पंचायती राज (वित बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय- व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था, परंतु सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय का बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अत: नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(घ) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत, मलेण्डी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अत: 93(ए)(1) के अंतर्गत अनुभागी समिति न बनाए जाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

(ड़) अंकेक्षण में जाँच करने पर पाया गया कि अवधि 4/2015 से 3/2016 के दौरान मनरेगा से संबन्धित प्राप्त अनुदानों और भुगतानों को रोकड़ बही में लेखांकित नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मौखिक रूप से अंकेक्षण को सूचित किया कि इस अवधि के दौरान समस्त लेन-देन जिलाधीश कार्यालय, शिमला/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा सीधे तौर पर किया जाता है। अत: उपरोक्त वर्णित अवधि के दौरान रोकड़ बही का लेखांकन न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए तथा साथ ही इस सम्बन्ध मे आवश्यक कार्यवाही शीघ्र अतिशीघ्र की जानी सुनिश्चित की जाए।

(च) ग्राम पंचायत की आय से संबन्धित विभिन्न अभिलेखों की जांच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत मलेण्डी द्वारा आय संग्रह के लिए जारी रसीदों को स्टॉक रजिस्टर में लेखांकित नहीं किया

गया था। स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने के कारण अंकेक्षण में इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी कि अंकेक्षण अवधि के दौरान जारी की गई सभी रसीदों से प्राप्त आय को रोकड़ बही में लेखांकित किया गया था अथवा नहीं ? अत: आय संग्रह हेतु जारी की गई रसीदों की स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न किए जाने को न्यायोचित ठहराया जाए साथ ही भविष्य में सभी रसीदों को जारी किए जाने से पूर्व स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 लघु आपति विवरणिका :- लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपत्तियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22 निष्कर्ष :- लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः– फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 16/2016–खण्ड–1–5574–5577 दिनाँक: 24.10.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1. सचिव, ग्राम पंचायत मलेण्डी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड नारकण्डा, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.